# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

**पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.**

2022-299RAAJodhpur2022-180RTA225 Sampatram Vs Polaram etc

सम्पतराम पुत्र भानाराम जाति मेघवाल, निवासी- रामासनी बाला, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

**ब**

**ना**

**म**

01. पोलाराम पुत्र मंगलाराम
02. हीराराम पुत्र भानाराम
03. कुनाराम पुत्र भानाराम
04. जैनाराम पुत्र भानाराम
05. गीता पुत्री भानाराम
06. छोटकी पुत्री भानाराम
07. नेताराम पुत्र भानाराम
08. ओमाराम पुत्र लालूराम
09. मालाराम पुत्र लालूराम
10. जमुड़ी पत्नी लालूराम
11. भूराराम पुत्र लाभूराम{मंगलाराम}

सभी जातियान् मेघवाल, निवासीगण- रामासनी बाला, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

**अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 07 जून 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 33/2022 पोलाराम बनाम सम्पतराम इत्यादि**

---

**उपस्थित-**

श्री गणपतलाल चौधरी, अधिवक्ता-अपीलांट

20.8.2023

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो संख्या बारह
शेष रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

# नि र्ण य

**दिनांक : 28 अगस्त 2023**

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 33/2022 अनवान पोलाराम बनाम सम्पतराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 07 जून 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 07 जुलाई 2022 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 426 रकबा 2.7830 हैक्टेयर, खसरा नं. 466 रकबा 6.8603 हैक्टेयर, खसरा नं. 536 रकबा 3.1066 हैक्टेयर ग्राम शिवनगर तथा ग्राम रामासनी स्थित खसरा नं. 7.2486 हैक्टेयर, खसरा नं. 604 रकबा 2.8477 खसरा नं. 608 रकबा 0.0243 हैक्टेयर के संबंध धारा 88, 53 एवं 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वाद के विचारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 07 जून 2022 को प्रार्थना पत्र अन्तरिम रूप से स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है। रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से अपीलांट के अधिवक्ता एवं विद्वान राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक भूल कारित की गई है। रेस्पोडेंट संख्या एक ने अपने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट लिखा है

29.8.2023
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कि अप्रार्थी संख्या एक सम्पतराम अपने हिस्से की भूमि पर मकान का निर्माण कार्य कर रहा है, जब अप्रार्थी संख्या एक सम्पतराम का विवादग्रस्त आराजी पर अपने हिस्से की भूमि पर स्वीकृत तौर पर कब्जा है तो उन्हें अपने मकान निर्माण कार्य करने से रोकने का आदेश देने में भूल की गयी है। रेस्पोडेंट संख्या एक प्रार्थी अपीलांट अप्रार्थी संख्या एक का भूमि खसरा नं. 426 में 1/21 हिस्से पर कब्जा होना स्वीकार किया है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा काबिज खातेदार के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने में भूल की है। अपीलांट विवादग्रस्त भूमि का 1/21 हिस्से का रेकर्डेड सहखातेदार है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सहखातेदार के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने में भूल की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रेकर्ड के विरुद्ध प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु मानने में भूल की है। सहखातेदार को उसके हक-हिस्से की भूमि पर मकान निर्माण कार्य करने से वंचित नहीं किया जा सकता है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य अपीलाधीन आदेश दिनांक 07 जून 2022 को खारिज फरमाया जावे

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवतः 2075-78 ग्राम शिवनगर तहसील बिलाड़ा के मुताबिक वादग्रस्त आराजी अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या एक की संयुक्त खातेदारी की भूमि है, जिसमें अपीलांट 1/21 हिस्से का सहखातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खातेदारी,

20.8.2023
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा के दावे के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने हेतु अपीलाधीन अंतरिम आदेश पारित किया हैं।

जहां तक अपीलांट के निर्माणाधीन मकान के निर्माण कार्य का प्रश्न है। न्यायालय हाजा द्वारा आदेश दिनांक 22.07.2022 के जरिये अपीलांट को खसरा नं. 426 में अपने हक-हिस्से में निर्माणाधीन मकान को पूर्ण किये जाने की पूर्व में छूट प्रदान की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को तत्कालीन वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से अपीलाधीन आदेश में इस स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना अदालत हाजा की राय में उचित नहीं है।

यह उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध पेश की गई है। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना शेष है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है। इसलिए मामले के अंतिम निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय को पुनः प्रतिप्रेषित किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का विधिसम्मत रूप से अंतिम निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20.0.2023

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर